

(0)।(R)10 दी.प्र.स. दिनांक 16/10/2024
की पैत्रा ही।

16/10
2024

पत्रावली पैत्रा हुई। पैरीकार सरकार उपस्थित।
पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
का स्थगन होने से कार्यवाही पैरिडम रखी
जाती है। पत्रावली वास्ते आगामी आदेश मा.
रा.मं. अजमेर व जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)10
दी.प्र.स. दिनांक 27/11/2024 की पैत्रा ही।

27/11
2024

पत्रावली पैत्रा हुई। पैरीकार सरकार उपस्थित। पत्रावली
में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन
होने से कार्यवाही पैरिडम रखी जाती है। पत्रावली
वास्ते आगामी आदेश मा.रा.मं. अजमेर व
जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)10 दी.प्र.स. दिनांक
03/12/2024 की पैत्रा ही।

03/12
2024

पत्रावली पैत्रा हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील
अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से पत्रावली को इसी
स्तर पर आरिज किये जाने का निवेदन किया।
पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलीकन
किया गया। उक्तरण में माननीय न्यायालय राजस्व
मण्डल अजमेर द्वारा मौजूद व रिकॉर्ड की तथा-
स्थिति के आदेश पारित किए, आगामी आदेशों
तक उक्तरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5.10.0

Form No. III

App-Z
crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

सज : जरीये तहसीलपर रावतभाटा बनाम..... काल

मुकदमा..... इजरायल नं० 10 सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आगामी आदेश पारित होने तक पत्रावली को इसी स्तर पर पेण्डिंग रखी जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आगामी आदेश पारित होने तक पत्रावली को पेण्डिंग रखी जाकर कैसल शुमार ही दर्ज रजिस्टर से कम की जाती है। पत्रावली शामिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (नियता इमद)</p>	